न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

निगरानी संख्या 9/2009

बोदनसहाय उर्फ बोदूराम पुत्र बिरदीचन्द जाति कुम्हार निवासी हिंगोटिया तहसील लवाण जिला दौसा

....प्रार्थी

बनाम

सीताराम पुत्र श्रीनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा जिला दौसा राज०

....अप्रार्थी

निगरानी याचिका विरुद्ध संकल्प ग्राम पंचायत हिंगोटिया पंचायत समिति दौसा दिनांक 20–12–2004 जिसके द्वारा विपक्षी को संकल्प सं0 09 द्वारा पट्टा प्रचलित किया गया हैं अ०धारा 97 रा0पं0 अधिनियम निगरानी निर्णित दिनांक 6–12–2017

प्रार्थना पत्र अ०धारा 151 सीपीसी व ऑर्डर 22 रूल 4 व 9 सीपीसी एवं पुर्नविचार

उपस्थित : 1. श्री सुरेश बंशीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी (अनुपस्थित)

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 30.7.2025

1. संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6.12.2017 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी व आर्डर 22 रूल 4 सीपीसी एवं पुनर्विचार प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी के अनुपस्थित रहने से उनके प्रार्थना पत्र को ही बहस माना गया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के अनुसार उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे अप्रार्थी सीताराम की दिनांक 15–10–2010 को मृत्यु हो गई है और उक्त निगरानी का निर्णय सीताराम के मरने के बाद दिनांक 6–12–2017 को हो गया है। प्रार्थी ने जिला कलैक्टर दौसा के उक्त निगरानी के निर्णय दिनांक 6–12–2017 के विरूद्ध प्रार्थी ने एसबी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 5899/2018 उनवानी बदनसहाय उर्फ बोदूराम बनाम सीताराम की राजस्थान उच्च न्यायालय मे प्रस्तुत की। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त सीताराम के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने उक्त रिट पिटीशन में दिनांक 29–4–2019 को आदेश पारित किया है। उक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना मे श्रीमान के यहां कॉज टाईटल पेश करके और शुद्ध करना है। उक्त अप्रार्थी सीताराम की दिनांक 15–10–2010 को मृत्यु हो गई है उक्त सीताराम के वारिस निम्न है:–
1 शम्भूदयाल पुत्र स्व. श्री सीताराम
2 संतोष पुत्री स्व. श्री सीताराम
3 उगन्ती पुत्री स्व० श्री सीताराम
4 गुल्ली पत्नि स्व० श्री सीताराम
समस्त जाति प्रजापत कुम्हार निवासी हिंगोटिया तहसील दौसा जिला दौसा।
उक्त मृतक सीताराम के उपर वर्णित के [illegible] अन्य कोई वारिस नहीं है और उक्त निगरानी है, निगरानी मे श्रीमान [illegible] देखनी होती है। चूंकि उक्त निगरानी का आदेश मृतक सीताराम के [illegible] मे हो गया है और [illegible]य राज० उच्च न्यायालय ने श्रीमान के यहां कॉज टाईटल [illegible] करने का आदेश [illegible] इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार फरमाकर और सीताराम के हुए अबेटमेन्ट को निरस्त फरमाकर सीताराम के स्थान पर उसके उपर वर्णित वारिसान को पक्षकार बनाया जाकर और

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested

Dw
जिला कलेक्टर, दौसा

संशोधित कॉज टाईटल प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मृतक सीताराम के स्थान पर उसके उपर वर्णित वारिसान को पक्षकार बनाकर माननीय राज. उच्च न्यायालय के आदेश की पालना मे संशोधित टाईटल पेश करने का आदेश देकर ओर संशोधन कॉज टाईटल स्वीकार फरमाकर निर्णय फरमाने की कृपा करें और यदि अबेटमेन्ट माना जावे तो उसे निरस्त फरमाने की कृपा करें।

4. अप्रार्थीगण के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने प्रस्तुत पत्रावली व माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णय का गहनता से अवलोकन किया।

6. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.4.2019 के निर्देश की अनुपालना में अभिलेख पर उपलब्ध मृत्यु प्रमाण पत्र से यह सिद्ध है कि मूल प्रतिवादी सं0 1 (सीताराम पुत्र श्रीनारायण) की मृत्यु दिनांक 15.10.2010 को हो चुकी है। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में सीताराम पुत्र श्रीनारायण के वारिसान को नोटिस जारी किये गये एवं दिनांक 22.2.2023 को शंभूदयाल, संतोष, उगन्ती पुत्र एवं पुत्री सीताराम एवं गुल्ली पत्नि सीताराम प्रकरण में उपस्थित हुए लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब या कथन ना तो तत्समय ना ही उसके उपरांत किया गया है। अतः आवेदक के कॉज टाईटल संशोधन याचिका स्वीकृत की जाती है एवं आर्डर 22 नियम 4 सीपीसी के अधीन मृतक के कानूनी वारिसान शंभूदयाल पुत्र सीताराम, संतोष पुत्री सीताराम, उगन्ती पुत्री सीताराम, गुल्ली पत्नि स्व. सीताराम समस्त जाति प्रजापत निवासी हिंगोटिया तहसील लवाण जिला दौसा को पक्षकार बनाया जाता है (संशोधित कॉज टाईटल संलग्न) प्रकरण के अबेटमेंट होने या न होने पर चूंकि यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को कॉज टाईटल संशोधन के आदेश दिये गये थे, जो कि इस निर्णय के साथ किये जाते है।

7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

निगरानी संख्या 9/2009

बोदनसहाय उर्फ बोदूराम पुत्र बिरदीचन्द जाति कुम्हार निवासी हिंगोटिया तहसील लवाण जिला दौसा

बनाम

सीताराम पुत्र श्रीनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा जिला दौसा राज० (फोत)

1/1 शंभूदयाल पुत्र स्व0 सीताराम

1/2 संतोष पुत्री स्व. सीताराम

1/3 उगन्ती पुत्री स्व0 सीताराम

1/4 गुल्ली पत्नि स्व0 सीताराम

समस्त जाति प्रजापत कुम्हार निवासी हिंगोटिया तहसील दौसा जिला दौसा पुत्र श्रीनारायण जाति कुम्हार निवासी ग्राम हिंगोटिया तहसील दौसा जिला दौसा राज.

संशोधित कॉज टाईटल

Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
दौसा